

भूमि का प्रकार - प्लॉट आवासीय

परगना - हाथरस

स्थित - ग्राम हतीसा भगवन्तपुर (ग्लोरी गार्डन फेज-.....) बाहर चुंगी

कोड सं० -

खसरा संख्या -

कुल क्षेत्रफल - वर्ग मीटर अर्थात वर्गगज

बैनाम -/- रूपये

मालियत -/- रूपये

दर -/- रूपये/वर्गमीटर

स्टाम्प -/- रूपये

हम कि मैसर्स वसुन्धरा रियल एस्टेट्स, ए-67, मोती कुँज एक्सटेंशन, मथुरा

(विक्रेता प्रथम पक्ष) व

(क्रेता द्वितीय पक्ष)

जो कि भूमि प्लॉट, स्थित ग्राम हतीसा भगवन्तपुर बाहर चुंगी तहसील हाथरस (अन्दरून ग्लोरी गार्डन फेज.....) जो खसरा नं० का अंश है के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष को सर्वाधिकार स्वामित्व प्राप्त हैं जो प्रथम पक्ष को वजरिये बैनामा दिनांक जो वही नं० जिल्द संख्या पृष्ठ क्रमांक पर उप-निबंधक हाथरस पर दर्ज है यह भूमि विक्रेता की सम्पत्ति है जिस पर विक्रेता का मालिकाना कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता को सर्वाधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं सिवाय विक्रेता के उक्त प्लॉटों का अन्य कोई मालिक व अधिकारी नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उक्त प्लॉटों को बेचने में किसी प्रकार की बाधा पैदा कर सके अतः उक्त प्लॉटों के समस्त अधिकारों सहित जो मुझ विक्रेता को प्राप्त हैं और भविष्य में प्राप्त होंगे और राजी खुशी बिना दबाव के मु०...../- रूपये शब्देन रूपये में बहक

(क्रेता द्वितीय पक्ष) के हक में बेच दिये और कीमत का कुल रूपया खरीददार से निम्न प्रकार प्राप्त करके बेची गयी जमीन पर खरीददार का वाकई कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीददार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावे । अब उक्त विक्रेता, व उसके वारिसान का बेची गयी जमीन से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा है और नाही भविष्य में कदापि होगा । यदि बेची गयी जमीन की बावत कोई विवाद किसी प्रकार का उत्पन्न हो अथवा बेची गयी जमीन का थोड़ा या कुल कब्जा खरीददार से निकल जावे तो उसकी समस्त जवाब देही, हर्जा-खर्चा अदालत आदि उक्त विक्रेता, क्रेता को देने का पाबन्द होगा । वह सब उनसे व उनके वारिसानों से बाजाबता के मय खर्चे के वसूल कर ले जिसमें उक्त विक्रेता को कोई एतराज नहीं होगा । इन प्लॉटों की कीमत में आन्तरिक विकास शुल्क शामिल हैं । बाह्य विकास शुल्क की बावत भविष्य में यदि नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र हाथरस या किसी अन्य विभाग द्वारा कोई शुल्क लगाया जाता है तो वह नियमानुसार क्रेता अदा करेगा । प्लॉट धारक के द्वारा निर्माण कार्य शुरू करते समय बैनामों के अनुसार पैमाइश की पुष्टि करानी होगी । निर्माण के दौरान नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा । निर्माण के समय प्लेन्थ की ऊँचाई व रेम्प की लम्बाई तय नियम के अनुसार ही रखनी होगी । सड़क पार्क आदि जन सुविधाओं का किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो वह अतिक्रमण बिना किसी सूचना के हटा दिया जायेगा तथा उस पर आये खर्चे का देनदार वही व्यक्ति होगा, विक्रित प्लॉटों की बावत पूर्व में कोई इकरार पत्र नहीं किया गया है उपरोक्त प्लॉटस ग्राम समाज व सरकारी सम्पत्ति नहीं है।

अतः मन बुद्धि एवं इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में खूब सोच समझकर बिना किसी जोर व दबाव के अपनी स्वेच्छानुसार यह बिक्री पत्र उल्लेख कर दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे । इति ॥

प्लॉट नं० पैमाइश

पूरब --0"

पश्चिम --0"

उत्तर --0"

दक्षिण --0"

कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर अर्थात वर्गमीटर

जिनकी सीमायें निम्न प्रकार हैं -

पूरब - मीटर

पश्चिम -

उत्तर -

दक्षिण -

1. गवाह:

2. गवाह: